



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 81/2016

दायर तारीख :- 11-08-2016

1. गोविन्दा पुत्र भंवरा जाति गुर्जर निवासी ज्ञानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर
राज0 — वादी

बनाम

1. भरता पुत्र नानू(फौत)
 - 1/1. मन्नी देवी पत्नि स्व0 भरता
 - 1/2. मामराज पुत्र स्व0 भरता
 - 1/3. भोलाराम पुत्र स्व0 भरता
 - 1/4. श्रवण लाल पुत्र स्व0 भरता
 - 1/5. गम्भो देवी पुत्री स्व0 भरता
 - 1/6. पांचूराम पुत्र स्व0 भरता (फौत)
 - 1/6/1. श्रवणी देवी पत्नि स्व0 पांचूराम
 - 1/6/2. रामचन्द्र पुत्र स्व0 पांचूराम
 - 1/6/3. राकेश पुत्र स्व0 पांचूराम नाबालिक जरिये संरक्षक माता श्रवणी देवी
 - 1/6/4. रमेश देवी पुत्री स्व0 पांचूराम
 - 1/6/5. संतोष देवी पुत्री स्व0 पांचूराम
2. ओमकार पुत्र प्रभात
3. रामस्वरूप
4. भोमाराम
5. नन्छूराम
6. जमन
7. तीजा देवी पत्नि स्व0 अर्जुन
8. सरदारा
9. पोखर
10. रामजीलाल
11. रामकुंवार
12. शान्ति
13. नन्छी
14. बिल्ला

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान ज्ञानपुरा तहसील विराटनगर जिला
जयपुर राज0

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर राज0

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं लगान व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता वादी



निर्णय

निर्णय दिनांक : 2507.2019

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम चकबाई का बास के खाता संख्या 2 में दर्ज खसरा नम्बर 2/0.22, 3/0.26, 4/0.21, 7/0.32, 8/0.25, 9/0.23, 12/0.07, 14/0.52, 17/0.43, 19/0.05, 24/0.33, 27/0.61, 31/0.99 हैक्टेयर कुल किता 13 रकबा 4.49 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 3 में दर्ज खसरा नंबर 1/0.78, 5/0.90, 6/1.34, 10/0.68, 11/0.69, 13/1.64, 15/0.74, 16/1.35, 18/0.33, 20/0.28, 21/0.30, 22/0.06, 23/0.48, 25/0.35, 26/0.05, 29/0.20, 30/0.86 कुल किता 17 रकबा 11.03 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। खाता संख्या 2 के खसरा नंबर 2/0.22, 3/0.26, 4/0.21, 7/0.32, 8/0.25, 9/0.23, 12/0.07, 14/0.52, 17/0.43, 19/0.05, 24/0.33, 27/0.61, 31/0.99 हैक्टेयर कुल किता 13 रकबा 4.49 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 हिस्सा 1/4 तथा वादी हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार है। एवं इस प्रकार खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 1/0.78, 5/0.90, 6/1.34, 10/0.68, 11/0.69, 13/1.64, 15/0.74, 16/1.35, 18/0.33, 20/0.28, 21/0.30, 22/0.06, 23/0.48, 25/0.35, 26/0.05, 29/0.20, 30/0.86 कुल किता 17 रकबा 11.03 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 हिस्सा 1/4 एवं वादी हिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार हैं इस प्रकार खाता संख्या 2 व 3 में वादी एवं प्रतिवादीगण समान रूप से खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार खाता संख्या 2 व 3 में वादी के हिस्से में 1.29 हैक्टेयर भूमि आती हैं। वादी को बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि में खाता संख्या 2 के खसरा नंबर 2/0.22, 7/0.32, 14/0.52 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.06 हैक्टेयर भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 30/1.38 में से 0.23 हैक्टेयर भूमि आयी थी, जिस पर वादी काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी ने अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को कड़ी मेहनत करके ऊपजाउ बनाया है प्रतिवादीगण, वादी की बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को हड़पने की नियत रखता है तथा बिना बंटवारा कराये जबरदस्ती बेदखल करने की धमकी देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम चकबाई का बास के खाता संख्या 2 में दर्ज खसरा नम्बर 2/0.22, 3/0.26, 4/0.21, 7/0.32, 8/0.25, 9/0.23, 12/0.07, 14/0.52, 17/0.43, 19/0.05, 24/0.33, 27/0.61, 31/0.99 हैक्टेयर कुल किता 13 रकबा 4.49 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 3 में दर्ज खसरा नंबर 1/0.78, 5/0.90, 6/1.34, 10/0.68, 11/0.69, 13/1.64, 15/0.74, 16/1.35, 18/0.33, 20/0.28, 21/0.30, 22/0.06, 23/0.48, 25/0.35, 26/0.05, 29/0.20, 30/0.86 कुल किता 17 रकबा 11.03 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा किया जाकर वादी को खाता संख्या 2 के खसरा नंबर 2/0.22, 7/0.32, 14/0.52 हैक्टेयर के सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता संख्या 3 के



वादीगण के कब्जा काशत में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8, 12, 13, 14 को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 2 व 3 संवत् 2071-74, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

4. प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 9 लगायत 11 का जवाब रहा कि ग्राम चकबाई का बास में स्थित आराजी मुतनाजा का बंटवारा प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नंबर 1/0.78, 13/1.64, 19/0.0250, 21/0.30, 22/0.06, 12/0.07, 11/0.09, 27/0.02, 30/0.29, 25/0.35, 31/0.25 कुल 3.88 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 को 16/1.35, 20/0.28, 27/0.31 कुल 1.94 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 व 5 लगायत 7 को खसरा नंबर 6/0.96, 11/0.60 कुल 1.56 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 को खसरा नंबर 6/0.38 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 8 को खसरा नंबर 3/0.26, 8/0.25, 17/0.43, 27/0.12, 20/0.20, 31/0.03 कुल 1.29 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 9 को खसरा नंबर 4/0.21, 9/0.23, 24/0.33, 26/0.05, 30/0.14, 27/0.06, 31/0.26 कुल 1.29 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 को खसरा नंबर 5/0.90, 10/0.68, 15/0.74, 18/0.33, 19/0.025, 23/0.48, 30/0.28, व खसरा संख्या 0.44 हैक्टेयर कुल 3.88 हैक्टेयर भूमि एवं वादी को खसरा नंबर 2/0.22, 7/0.32, 14/0.52, 30/0.14, 27/0.09 कुल 1.29 हैक्टेयर दिया गया, जिस पर की वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत है। तथा वादी के हिस्से में खाता संख्या 2 के खसरा नंबर 2/0.22, 7/0.32, 14/0.52 के सम्पूर्ण हिस्से एवं खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 30/0.86 में से 0.23 हैक्टेयर नहीं आकर 0.1425 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर 27/0.09 हैक्टेयर भूमि आती है, इस प्रकार वादी के हिस्से में कुल 1.29 हैक्टेयर भूमि आती है, जिस पर वादी काबिज काशत है। एवं प्रतिवादीगण का निवेदन रहा कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति के अनुसार एवं मोके स्थिति पर काबिज काशत अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर लगान निर्धारण किया जावे।

5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.06.2019 प्राप्त हुआ है।

6. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम चकबाई का बास के खाता संख्या 2 में दर्ज खसरा नम्बर 2/0.22, 3/0.26, 4/0.21, 7/0.32, 8/0.25, 9/0.23, 12/0.07, 14/0.52, 17/0.43, 19/0.05, 24/0.33, 27/0.61, 31/0.99 हैक्टेयर कुल कित्ता 13 रकबा 4.49 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 3 में दर्ज खसरा नंबर 1/0.78, 5/0.90, 6/1.34, 10/0.68, 11/0.69, 13/1.64, 15/0.74, 16/1.35, 18/0.33, 20/0.28, 21/0.30, 22/0.06, 23/0.48, 25/0.35, 26/0.05, 29/0.20, 30/0.86 कुल कित्ता 17 रकबा 11.03 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदार काशतकार हैं खात संख्या 2 के खसरा नंबर



14 हिस्सा 1/4 तथा वादी हिस्सा 1/12 का खातेदार काश्तकार है। एवं खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 1/0.78, 5/0.90, 6/1.34, 10/0.68, 11/0.69, 12/1.64, 15/0.74, 16/1.35, 18/0.33, 20/0.28, 21/0.30, 22/0.06, 23/0.48, 25/0.35, 26/0.05, 29/0.20, 30/0.86 कुल किता 17 रकबा 11.03 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 14 हिस्सा 1/4 एवं वादी हिस्सा 1/12 के खातेदार काश्तकार हैं इस प्रकार खाता संख्या 2 व 3 में वादी एवं प्रतिवादीगण समान रूप से खातेदार काश्तकार है। वादी का बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि में खाता संख्या 2 के खसरा नंबर 2/0.22, 7/0.32, 14/0.52 हैक्टयर के सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 30/1.38 में से 0.23 हैक्टयर भूमि आती है, जिस पर वादी काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी की हिस्से में 1.29 हैक्टयर भूमि आती है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी ने अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को कड़ी मेहनत करके ऊपजाउ बनाया है प्रतिवादीगण, वादी की बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को हड़पने की नियत रखता है तथा बिना बंटवारा कराये जबरदस्ती बेदखल करने की धमकी देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 27.06.2019 प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गोविन्दा पुत्र भंवरा जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. ज्ञानपुरा राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा शाहपुरा मूर्तहीन खातेदार	2/0.22, 7/0.32, 14/0.52, 30/1/0.24 हैक्टयर
2	1.मन्नी देवी पत्नि भरथाराम हिस्सा 97/2133	1/0.78, 3/0.26, 4/0.

जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार	15/0.74,	16/1.35,
4.श्रवणलाल पुत्र भरथाराम हिस्सा 97/2133	17/0.43,	18/0.33,
जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार	19/0.05,	20/0.28,
5.गमली पुत्री भरथाराम हिस्सा 97/2133 जाति	21/0.30,	22/0.06,
गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार	23/0.48,	24/0.33,
6.श्रवण देवी पत्नि पांचूराम हिस्सा 97/10665	25/0.35,	26/0.05,
जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार	27/0.61,	29/0.20,
7.रमेश देवी पुत्री पांचूराम हिस्सा 97/10665	30/0.62,	31/0.99
जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार	हैक्टेयर	
8.संतोष पुत्री पांचूराम हिस्सा 97/10665 जाति		
गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार		
9.रामचन्द्र पुत्र पांचूराम हिस्सा 97/10665		
जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार		
10.राकेश पुत्र पांचूराम हिस्सा 97/10665 जाति		
गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार		
11.रामजीलाल पुत्र गिरधारी हिस्सा 97/711		
जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार		
12.रामकुंवार पुत्र गिरधारी हिस्सा 97/711		
जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार		
13.ओमकार पुत्र प्रभात हिस्सा 97/711 जाति		
गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार		
14.तीजा देवी पत्नि स्व0 अर्जुन हिस्सा		
97/3555 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार		
15.रामस्वरूप पुत्र अर्जुन हिस्सा 97/3555		
जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा राहिन बी.ओ.आई		
शाखा विराटनगर मूर्तहीन खातेदार		
16.भोमाराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 97/3555 जाति		
गुर्जर सा. ज्ञानपुरा राहिन बी.ओ.आई शाखा		
विराटनगर मूर्तहीन खातेदार		

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक-दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजनाम :- राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.



गिरधारी पुत्र भंवरा जाति गुर्जर निवासी ज्ञानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

— वादी

बनाम

1. भरता पुत्र नानू(फौत)
 - 1/1. मन्नी देवी पत्नि स्व० भरता
 - 1/2. मामराज पुत्र स्व० भरता
 - 1/3. भोलाराम पुत्र स्व० भरता
 - 1/4. श्रवण लाल पुत्र स्व० भरता
 - 1/5. गम्भो देवी पुत्री स्व० भरता
 - 1/6. पांचूराम पुत्र स्व० भरता (फौत)
 - 1/6/1. श्रवणी देवी पत्नि स्व० पांचूराम
 - 1/6/2. रामचन्द्र पुत्र स्व० पांचूराम
 - 1/6/3. राकेश पुत्र स्व० पांचूराम नाबालिक जरिये संरक्षक माता श्रवणी देवी
 - 1/6/4. रमेश देवी पुत्री स्व० पांचूराम
 - 1/6/5. संतोष देवी पुत्री स्व० पांचूराम
 2. ओमकार पुत्र प्रभात
 3. रामस्वरूप
 4. भोमाराम
 5. नन्छूराम
 6. जमन
 7. तीजा देवी पत्नि स्व० अर्जुन
 8. सरदारा
 9. पोखर
 10. रामजीलाल
 11. रामकुंवार
 12. शान्ति
 13. नन्ही
 14. बिल्ला
- समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान ज्ञानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज०

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर राज०

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 81/2016 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी

निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रुबरू श्री चिरंजीलाल

गैर एन्डोर्सेड व दावानी पिन जातिन एन्डर्न रुबरू श्री अन्वेषण

32, 8/0.25, 9/0.23, 12/0.07, 14/0.52, 17/0.43, 19/0.05, 24/0.33, 27/0.61, 31/0.99 हैक्टियर कुल किता 13 रकबा 4.49 हैक्टियर एवं खाता संख्या 3 में दर्ज खसरा नंबर 1/0.78, 5/0.90, 6/1.34, 10/0.68, 11/0.69, 13/1.64, 15/0.74, 16/1.35, 18/0.33, 20/0.28, 21/0.30, 22/0.06, 23/0.48, 25/0.35, 26/0.05, 29/0.20, 30/0.86 कुल किता 17 रकबा 11.03 हैक्टियर का बंटवारा किया जाकर वादी को खाता संख्या 2 के खसरा नंबर 2/0.22, 7/0.32, 14/0.52 हैक्टियर के सम्पूर्ण हिस्सा एवं खाता संख्या 3 के खसरा नंबर 30/0.62, 31/0.99 हैक्टियर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गोविन्दा पुत्र भंवरा जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. ज्ञानपुरा राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा शाहपुरा मूर्तहीन खातेदार	2/0.22, 7/0.32, 14/0.52, 30/1/0.24 हैक्टियर
2	1.मन्नी देवी पत्नि भरथाराम हिस्सा 97/2133 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 2.मामराज पुत्र भरथाराम हिस्सा 97/2133 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 3.भोलाराम पुत्र भरथाराम हिस्सा 97/2133 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 4.श्रवणलाल पुत्र भरथाराम हिस्सा 97/2133 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 5.गमली पुत्री भरथाराम हिस्सा 97/2133 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 6.श्रवण देवी पत्नि पांचूराम हिस्सा 97/10665 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 7.रमेश देवी पुत्री पांचूराम हिस्सा 97/10665 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 8.संतोष पुत्री पांचूराम हिस्सा 97/10665 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार	1/0.78, 3/0.26, 4/0.21, 5/0.90, 6/1.34, 8/0.25, 9/0.23, 10/0.68, 11/0.69, 12/0.07, 13/1.64, 15/0.74, 16/1.35, 17/0.43, 18/0.33, 19/0.05, 20/0.28, 21/0.30, 22/0.06, 23/0.48, 24/0.33, 25/0.35,, 26/0.05, 27/0.61, 29/0.20, 30/0.62, 31/0.99 हैक्टियर

<p>गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 11.रामजीलाल पुत्र गिरधारी हिस्सा 97/711 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 12.रामकुंवार पुत्र गिरधारी हिस्सा 97/711 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 13.ओमकार पुत्र प्रभात हिस्सा 97/711 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 14.तीजा देवी पत्नि स्व0 अर्जुन हिस्सा 97/3555 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा खातेदार 15.रामस्वरूप पुत्र अर्जुन हिस्सा 97/3555 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा राहिन बी.ओ.आई शाखा विराटनगर मूर्तहीन खातेदार 16.भोमाराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 97/3555 जाति गुर्जर सा. ज्ञानपुरा राहिन बी.ओ.आई शाखा विराटनगर मूर्तहीन खातेदार</p>	
--	--

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.07.2019 खुले न्यायालय में सुनाया

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिकशून्य..... बाबतशून्य.....खर्चा
 इस मुकदमे के मय सूद बशरतशून्य..... की सदी सलाना
 आज की तारीख बसूलयाबी तकशून्य..... का अदा करें। सब मेरे
 दस्त्रखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25.07.2019** को जारी की
 गई।



(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे
 डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर